<u>न्यायालयः – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला–बालाघाट, (म.प्र.)</u>

आप.प्रक.कमांक—482 / 2014 संस्थित दिनांक—04.06.2014 फाईलिंग क. 234503004512014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड जिला—बालाघाट (म.प्र.) —

<u>अभियोजन</u>

विरुद्ध

1—लोकराम दादरे पिता हरिप्रसाद दादरे, उम्र—42 वर्ष, जाति मरार, निवासी—ग्राम भण्डेरी, थाना बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—कन्हैयालाल पिता बारेलाल परते, उम्र—54 वर्ष, जाति गोंड, निवासी—ग्राम भरवेली, दुर्गा चौक उंची बारंग, वार्ड नं—2 भरवेली थाना भरवेली, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियुक्तगण

// <u>निर्णय</u> // (<u>आज दिनांक-02/03/2016 को घोषित)</u>

1— आरोपी लोकराम दादरे के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 130(3)/177, 50(1)(ख) के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक—04.01.2014 को शाम के करीब 7:00 बजे ग्राम बाकीगुडा पुलिया के पास थाना मलाजखण्ड अंतर्गत लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी—50/एम.बी—3619 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए उक्त वाहन को पुलिया के नीचे गिराकर आहत राजेश मानेवश्वर को उपहित कारित की तथा आहत लोकूराम को घोर उपहित कारित की एवं उक्त वाहन को वैध लाईसेंस व बिना बीमा के चलाया तथा उक्त वाहन का रिजस्ट्रेशन आदि दस्तावेज पेश न कर, उक्त वाहन का रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिदिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं की तथा आरोपी कन्हैयालाल के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196, 50(1)(क) के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चालन करवाया तथा उक्त वाहन का रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विनिदिष्ट अवधि में रिपोर्ट

नहीं की।

- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना मलाजखण्ड में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक सुरेश विजयवार को दिनांक-05.03.2014 को थाना बिरसा से आहत राजेश मानेश्वर तथा लोकराम मानेश्वर, निवासी ग्राम भण्डेरी की अस्पताल तहरीर जांच हेतु प्राप्त हुई, जिसकी जांच दौरान राजेश मानेश्वर व भीकम मानेश्वर से पूछताछ कर कथन लेख किये गए। उनके कथनों एवं एम.एल.सी. के आधार पर घटना दिनांक-04.01.2014 को शाम 7:00 बजे आरोपी लोकराम दादरे, मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी—50 / एम.बी—3619 को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर पुलिया के नीचे गिरा देने से आहतगण को चोटें आई। आरोपी के विरूद्ध थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक-36 / 14, धारा-279, 337 भा.द. वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा–184 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार कर दुर्घटना कारित वाहन को जप्त कर, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफतार किया गया। विवेचना के आधार पर आरोपी लोकराम के द्वारा उक्त वाहन को वैध लाईसेंस व बिना बीमा के चलाया तथा उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन आदि दस्तावेज पेश न कर, उक्त वाहन का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विर्निदिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं करने पर उसके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-3 / 181, 146 / 196, 130(3) / 177, 50(1)(ख) एवं आरोपी कन्हैयालाल के द्वारा उक्त वाहन को बिना बीमा के चालन करवाया तथा उक्त वाहन का रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को अंतरण की विर्निदिष्ट अवधि में रिपोर्ट नहीं करने पर उसके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा-146 / 196, 50(1)(क) का इजाफा कर अनुसंधान उपरान्त न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।
- 3— आरोपी लोकराम के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337, 338 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा—3 / 181, 146 / 196, 130(3) / 177, 50(1)(ख) के अंतर्गत एवं आरोपी कन्हैयालाल के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा—146 / 196, 50(1)(क) के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहतगण लोकूराम एवं राजेश के द्वारा आरोपीगण से राजीनामा किये जाने से आरोपी लोकराम के विरुद्ध धारा—337, 338 भा.द.वि. का शमन किया गया तथा शेष

अपराध के लिए विचारण आगे जारी किया गया। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है :-

- 1. क्या आरोपी लोकराम ने दिनांक—04.01.2014 को शाम के करीब 7:00 बजे ग्राम बाकीगुड़ा पुलिया के पास थाना मलाजखण्ड अंतर्गत लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी—50/एम.बी—3619 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
- 2. क्या आरोपी लोकराम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त बाहन को बिना वैध लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया ?
- 3. क्या आरोपी लोकराम ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त बाहन का रिजस्ट्रेशन आदि दस्तावेज पेश नहीं किये ?
- 4. क्या आरोपी लोकराम ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन के अंतरिती के रूप में अंतरण की रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को विर्निदिष्ट अविध में सूचना नहीं दी ?
- 5. क्या आरोपी कन्हैयालाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का मालिक होते हुए उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवाया ?
- 6. क्या आरोपी कन्हैयालाल ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन के अंतरक के रूप में अंतरण की रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को विर्निदिष्ट अविध में सूचना नहीं दी ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत राजेश मानेश्वर (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी लोकराम वह आहत लोकूराम को भी जानता है। आहत लोकूराम उसका बड़ा भाई है। घटना दिनांक—04.01.2014 की शाम के 7:00 बजे ग्राम बाकीगुड़ा की है। वह और उसका भाई लोकराम की मोटरसाइकिल में बैठकर अपने घर भण्डेरी आ रहे थे, तब गाड़ी गिरने से लोकूराम और उसको चोटें आई थी। उसने घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 लिखाई थी और पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल

का नक्शामौका प्रदर्श पी—2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके सामने एक मोटरसाइकिल मय दस्तावेज के जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—3 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी लोकराम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 6— उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी मोटरसाइकिल को तेज गति एवं लापरवाही से चला रहा था। इस प्रकार साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आरोपी मोटरसाइकिल को चला रहा था, किन्तु साक्षी ने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाए जाने का समर्थन नहीं किया है।
- 7— आहत लोकराम उर्फ लोकूराम (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व शाम के लगभग 6:00 बजे ग्राम बाकीगुडा की है। घटना दिनांक को वह और उसका भाई राजेश एवं आरोपी लोकराम, मोटरसाईकिल से ग्राम बाकीगुडा से ग्राम भण्डेरी आ रहे थे और उस समय आरोपी लोकराम मोटरसाइकिल चला रहा था। जब आरोपी को पेशाब लगी तो उसने गाड़ी खड़ी कर पेशाब करने चला गया था। जब वह गाड़ी के पास खड़ा था तो गाड़ी के गिरने से उसके पैर पर चोट लगी थी।
- 8— उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी मोटरसाइकिल को तेज गति एवं लापरवाही से चला रहा था। इस प्रकार साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आरोपी मोटरसाइकिल को चला रहा था, किन्तु साक्षी ने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाए जाने का समर्थन नहीं किया है।
- 9— अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश विजयवार (अ.सा.३) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने अस्पताल तहरीर के आधार पर जांच उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 लेख की थी। दिनांक—06.03.2014 को उक्त अपराध की डायरी प्राप्त होने पर राजेश की निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार कर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये थे। उसने दिनांक—20.02.2014 को मोटरसाईकिल क्रमांक—एम. पी—50 / एम.बी—3619 के दस्तावेज जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी—3 अनुसार जप्त किया था।

दिनांक—29.03.2014 को उक्त मोटरसाईकिल के मालिक कन्हैयालाल से धारा—133 मोटरयान अधिनियम की सूचना प्रदर्श पी—6 देकर मोटरसाईकिल चालक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसके अनुसार आरोपी लोकराम के द्वारा घटना के समय वाहन चलाया जा रहा था। उसने आरोपी लोकराम को गिरफ्तार कर घटना के समय वाहन चालन का लायसेंस न होने और वाहन से संबंधित दस्तावेज पेश न करने व अंतरण की सूचना सक्षम प्राधिकारी को न दिए जाने, वाहन का बीमा न होने से मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 130/177, 50 क, ख/177, 146/196 का ईजाफा किया था। उक्त साक्ष्य का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

- 10— प्रकरण में प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षी आहतगण लोकूराम (अ.सा.2) एवं राजेश (अ.सा.1) ने आरोपी के द्वारा मोटरसाईकिल को तेज गति व लापरवाही से चलाए जाने से इंकार किया है। अभियोजन की ओर से उक्त साक्षीगण के अलावा अन्य चक्षुदर्शी साक्षी को पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य से घटना के समय मात्र आरोपी के द्वारा उक्त दुर्घटना कारित मोटरसाईकिल का चालन किया जाना प्रमाणित है, किन्तु इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं है कि आरोपी के द्वारा उक्त मोटरसाईकिल को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षा से चलाया जाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया है।
- 11— आरोपी के द्वारा जिस वाहन मोटरसाईकिल का चालन किया जा रहा था, उसकी व दस्तावेजों की जप्ती कार्यवाही को अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने प्रमाणित किया है। इसके अलावा अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा धारा—133 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत उक्त वाहन के स्वामी आरोपी कन्हैयालाल को सूचना देकर आरोपी लोकराम के द्वारा वाहन चलाए जाने की जानकारी प्राप्त की गई है। अनुसंधानकर्ता अधिकारी सुरेश विजयवार (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में यह भी बताया है कि अनुसंधान के दौरान मोटरयान अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत उक्त वाहन को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चालन किये जाने, बिना बीमा के चलाए जाने, वाहन के दस्तावेज मौके पर पेश न करने, वाहन के अंतरण की सक्षम प्राधिकारी को सूचना न दिए जाने का उल्लंघन किया गया है। उक्त के संबंध में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य अखंडित रही है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।
- 12— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी

लोकराम ने दिनांक—04.01.2014 को शाम के करीब 7:00 बजे ग्राम बाकीगुडा पुलिया के पास थाना मलाजखण्ड अंतर्गत लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल कमांक—एम.पी—50/एम. बी—3619 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। फलस्वरूप आरोपी लोकराम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

13— अभियोजन ने यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी लोकराम ने मोटरयान अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी—50/एम.बी—3619 को बिना वैध अनुज्ञप्ति के चालन कर बिना बीमा के चलाया, वाहन के दस्तावेज पुलिस अधिकारी के समक्ष मौके पर पेश नहीं किया, वाहन के अंतरिती के रूप में अंतरण की रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को विर्निदिष्ट अवधि में सूचना नहीं दी तथा आरोपी कन्हैयालाल ने उक्त वाहन के स्वामी होते हुए अंतरक के रूप में वाहन का बीमा न कराकर उसके अंतरण की रिजस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को विर्निदिष्ट अवधि में सूचना नहीं दी। फलतः आरोपी लोकराम को मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 130(3)/177, 50(1)(ख) के अपराध के अंतर्गत एवं आरोपी कन्हैयालाल को मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196, 50(1)(क) के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है। आरोपीगण को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

14— आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उनका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उनके द्वारा मामले में वर्ष 2014 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहें है। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड़ से दिण्डित कर छोड़ा जावे।

15— आरोपीगण के विरूद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी लोकराम को मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 130(3)/177, 50(1)(ख) के अपराध के अंतर्गत कमशः 500/—, 500/—, 100/—, 100/—रूपये कुल राशि 1,200/—रूपये (एक हजार दो सौ रूपये) एवं आरोपी कन्हैयालाल को मोटरयान अधिनियम की धारा—146/196,

50(1)(क) के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 500/—, 100/—रूपये कुल राशि 600/— (छ:ह सौ रूपये) की अर्थदण्ड की राशि से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी लोकराम को मोटरयान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 130(3)/177, 50(1)(ख) के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 15—15—15 दिवस तथा आरोपी कन्हैयालाल को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के अपराध के अंतर्गत क्रमशः 15—15 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

16— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है।

17— प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में धारा—428 द.प्र.सं. का प्रमाणपत्र तैयार किया जावे।

18— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक—एम.पी—50/एम. बी—3619 मय चाबी सहित सुपुर्ददार कन्हैयालाल परते पिता बारेलाल परते, उम्र—52 वर्ष, निवासी—ग्राम भरवेली, थाना भरवेली जिला बालाघाट को सुपुर्दनामे पर प्रदान किया गया है। अतएव अपील अवधि पश्चात् उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट